उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 49/2012
दिनांक 13/4/2012

संख्याः– 32-E/0/Allowance

RBE No. 49/2012

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– **जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
मुख्य कारखाना प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/**निर्माण– जयपुर**
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–**जयपुर**
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– **जयपुर**
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– **जयपुर**
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– **अजमेर**
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– **उदयपुर**
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– **जोधपुर**
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– **जयपुर**
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– **जयपुर**
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– **जयपुर**
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– **जयपुर.**

विषय :– Payment of Dearness Allowance to employees – Revised Rates effective from 01-01-2012

संदर्भ :– Railway Board letter No. PC-V/2008/1/7/2/1 dt. 9/4/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 9/4/12 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा)
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7.	महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू	15 प्रतियॉ।
8.	महासचिव– यूपीआरएमएस	15 प्रतियॉ।
9.	महासचिव– एससी/एसटी एसो.	15 प्रतियॉ।
10.	महासचिव– ओबीसी एसो.	05 प्रतियॉ।
11.	महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो.	05 प्रतियॉ।

Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Railways/ रेल मंत्रालय
(Railway Board/ रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/289
No. PC-VI/2008/I/7/2/1

RBE No. 49 /2012
New Delhi, dated 09.04.2012

The GMs/CAO(R),
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)

Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised rates effective from **01.01.2012.**

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 05.10.2011 (S.No PC-VI/277, RBE No.137/2011) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of **58% to 65%** with effect from **1st January, 2012.**

2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The arrears may be charged to the salary bill for April, 2012 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

9/4/12

(Hari Krishan)
Director, Pay Commission II
Railway Board.

No.PC-VI/2008/I/7/2/1

New Delhi, dated 09.04.2012

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224 Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).

for Financial Commissioner/Railways.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

कम सं. पी सी –VI/289
सं. पी सी– VI/2008/I/7/2/1

आर बी ई सं. 49 /2012
नई दिल्ली, दिनांक 09.04.2012

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी – 01.01.2012 से लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 05.10.2011 के समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी –VI/277 आरबीई सं.137/2011) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जनवरी, 2012 से 58% की मौजूदा दर से 65% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी –VI/3 आरबीई सं. 106/2008)के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि का भुगतान अप्रैल, 2012 के वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग–II,
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी– VI/2008/I/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 09.04.2012

प्रतिलिपि ए डी ए आई (रेलें) नई दिल्ली को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियॉ)

कृते वित्त आयुक्त/रेलें